न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 113/2026

राजबीर सिंह पुत्र श्री नेकीराम ग्राम पोस्ट बहादुरवास जिला झुंझुनू पिनकोड 333704

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 08.04.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 12.03.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 113/2026 पर दिनांक 12.03.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/705–706 दिनांक 12.03.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक एफ.16(4)(5)न्याय/सू.अ./2026/379 दिनांक 13.03.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया अपीलार्थी का आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू.अ./2026/54 दिनांक 29.01.2026 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी मण्डावा को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने जाने हेतु पत्र लिखा जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू.अ./2026/54 दिनांक 29.01.2026 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी मण्डावा को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने जाने हेतु पत्र लिखा जा चुका है। अपीलार्थी का आवेदन निर्धारित समय में संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर झुंझुनूं